



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

EWS (GEN) वर्ष 2021 की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

राजस्थान सरकार के जन घोषणा - पत्र के बिन्दु संख्या 23.28 के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र/छात्राओं की सहायता के लिए 'विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना' प्रारम्भ की जा रही है। इस छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना हेतु वर्ष 2021 में राजस्थान बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि 13.10.2022 व अंतिम 15.11.2022 को रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन सिर्फ विद्यालय के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए विद्यालय बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर फॉर्म भरने हेतु राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी Login Id एवं Password का प्रयोग कर Login कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय EWS की कैटेगरी से फॉर्म भरा है। यह फॉर्म नवीन (फ्रेश) स्कॉलरशिप के लिए भरवाये जा रहे हैं। अधिक जानकारी व आवश्यक दिशा निर्देश हेतु बोर्ड की वेबसाइट व दूरभाष संख्या 0145-2632854 व 0145-2632025 पर सम्पर्क करें।

सचिव

**सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र/छात्राओं
को देय छात्रवृत्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश**

अवधि एवं दरें –

1. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण 100/- रूपये प्रति माह 2 शिक्षण सत्र के लिए
(एक शिक्षण सत्र = 10 माह)
2. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण 100/- रूपये प्रति माह 2 शिक्षण सत्र के लिए
(एक शिक्षण सत्र = 10 माह)

1. आवश्यक नियम –

1. कक्षा 10 में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को जिन्होंने 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, छात्रवृत्ति के लिये पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिये अर्थात् कक्षा 11 व कक्षा 12 में विद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने पर ही देय होगी।
2. सैकण्डरी/प्रवेशिका के परिणामस्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां अगले वर्ष के लिए तभी देय होगी जब संबंधित अभ्यथी आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित (विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत् हो) प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 55 प्रतिशत अंक पूर्ण योग में प्राप्त करें।
3. उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति छात्र/छात्रा को इसी शर्त पर दी जावेगी कि वह मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन कर रहा है।
4. **यदि कोई छात्र/छात्रा अपना अध्ययन छोड़ देगा तो जिस तिथि को वह संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से उसे छात्रवृत्ति देना बन्द कर दिया जावेगा।**
5. छात्रवृत्तियों का भुगतान छात्र/छात्रा के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जावेगा। छात्र/छात्रा अपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउण्ट नम्बर, IFSC कोड नम्बर तथा अपना मोबाईल नम्बर तथा ईमेल आईडी आवश्यक रूप से प्रपत्र में अंकित करें।
6. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक पिछड़े वर्ग संबंधी नियम प्रभावी रहेंगे।
7. विद्यार्थियों को EWS का प्रमाण पत्र (सत्र 2020-21) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. छात्रवृत्ति का प्रपत्र व आवश्यक दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। विद्यार्थियों को पृथक से प्रपत्र व दस्तावेज (हार्ड कॉपी) बोर्ड कार्यालय को प्रेषित नहीं की जानी है।
9. इस योजना में बोर्ड परीक्षा (कक्षा-10) में प्रविष्ट कैटेगरी- 1 के विद्यार्थी ही सम्मिलित होंगे।
10. इस योजना के अभ्यर्थियों का चयन संवीक्षा के उपरान्त अंतिम परिणाम के आधार पर किया जायेगा।

11. छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार निदेशक (शैक्षिक) से करें। कार्यालय के दूरभाष नम्बर : 0145-2632025 व 0145-2632854 पर संपर्क किया जाना है।
12. उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति भी संलग्न करें।
13. उपरोक्त EWS छात्रवृत्ति के समस्त दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

BOARD OF SECONDARY EDUCATION RAJASTHAN AJMER

-: FORM FOR THE EWS SCHOLARSHIP (FRESH) FOR GENERAL STUDENTS :-

Examination year _____

Roll Number of Class X _____

HOME ADDRESS OF THE STUDENT _____

(For Correspondence) _____

MOBILE NO. OF THE STUDENT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMAIL ADDRESS _____

PRESENT CLASS _____

NAME OF THE BANK OF THE STUDENT _____

IFSC CODE OF THE BANK OF THE STUDENT FOR ONLINE PAYMENT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BANK A/C NO. OF THE STUDENT FOR ONLINE PAYMENT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uploads -

- 1. Latest EWS Certificate.**
- 2. Front page of Bank Passbook/Cancelled Cheque.**

I hereby declare that the above-mentioned information is accurate to the best of my knowledge and belief and I propose to give the EWS Scholarship to this Student.

SUBMIT